क्र. सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 149/25 अर्जुन बनाम महाराज सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रहे। कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करें। रहननामा, दानपत्र व बयनामा नहीं करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये Reg Ad नोटिस/सम्मन से की जावे। Reg Ad मय लिफाफे आगामी तारीख पेशी से पूर्व पेश करें। लिफाफे मय Reg Ad पेश नहीं करने पर यह अंतरिम टी.आई. आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा। उक्त T.I आदेश शर्ते व सीमाजात पर लागू नहीं होगा। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 03/09/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 3/09/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 01 एवं शेष की तलबी जर्ये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 3/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 3/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 01 एवं शेष की तलबी जर्ये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 27.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश हुआ बहस सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का लगातार-	

तारीख हुक्म	मु. नं. 149/25 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अर्जुन बनाम महाराज सिंह
	प्रार्थीगण द्वारा इस आशय से पेश किया है। भूमि खाता सं. नया 89 पुराना 83 के खसरा नं. 38, 55, 57, 81, 82, 83, 84, 88, कुल किता 8, कुल रकबा 2.97 हेक्टेयर खाता सं. नया 88 पुराना 82 खसरा नं. 1, 102/1028, 3, 372, 96, 177 कुल किता 6 कुल रकबा 4.06 हेक्टेयर ग्रा. कोलवा जिसके गत खसरा नं. 10/2 है। गत खसरा नं. 10/2 में से 10 बीघा जमीन वादीगण के पिता रामनिवास, मेवा, चन्द्रा, रघुनाथ वादी लोहइया, पिसरान भौरया ने प्रतिवादी सं. 1 के दादा बजरंगसिंह पुत्र हरनाथ सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1965 को 200 रु प्रतिफल राशि अदा करके मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थी सं. 8 एवं प्रार्थीगण के पिता आपस में सगे भाई थे। अनपढ़ आदमी थे। इस कारण से उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। उन्होने भूमि मुतदाविया का नामांतकरण दर्ज नहीं करवाया। इस कारण खातेदार दर्ज नहीं हुए। प्रार्थीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण गलत खातेदारी की आड़ में वादग्रस्त भूमि को डिगर शख्स को रहन बय करने में आमादा है वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिसंधित किया जावे। प्राइमाफेसाई केस, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

लगातार -

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

कस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न जवाब पेश किया है कि प्रश्नगत भूमि मुतदाविया अप्रार्थी सं 01 की कब्जे-काश्त की खातेदारी भूमि रही है जो कि अप्रार्थी को अपने पूर्वजों के समय से मिली हुई भूमि है जिस पर अप्रार्थी ही आज दिन तक काबिज-काश्त है प्रार्थीगण का प्रश्नगत संपत्ति से कोई संबंध व सरोकार आज दिन तक नहीं रहा है प्रार्थीगण ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो कि खारिज किए जाने योग्य है। एवं कानूनन खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपनी कई नजीरों में निर्णय किया गया है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर व बिना किसी साक्ष्य व सबूत के पेश किया है और ना ही प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि मुतदाविया पर काबिज-काश्त है इसलिए प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में साबित करने में असफल रहे है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किए जाने योग्य है।	

[signature] लगातार-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म से जारी
	बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय निम्नांकित तीन बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है- (1.) <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> (2.) अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त (3.) सुविधा का संतुलन (1.) प्रथम दृष्टया मामला - प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 01 के दादा बजरंग सिंह पुत्र हरनाथ सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 200 रु में प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा खरीदी गई। अनपढ़ होने के कारण नामांतकरण नहीं दर्ज करवा पाए। इसलिए वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण को कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ना ही अप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या खातेदार काश्तकार है। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती जहां तक उद्घोषणा के दावे का प्रश्न है। वह उसका निस्तारण पर्याप्त साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाता है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता। (हस्ताक्षर) लगातार -	

मु. नं. 149/25

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अर्जुन बनाम महाराज सिंह

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(2.) अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त (3) सुविधा का संतुलन:- उक्त दोनों बिन्दुओं का निर्णय सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। जहाँ तक अस्थाई निषेधाज्ञा के मामलों में एक भी बिन्दु यदि साबित करने में प्रार्थी असफल रहता है तो उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में तय नहीं किए जा सकते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आदेश है कि दिनांक 01.08.2025 को प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हटाई जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.10.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/25

(रामसिंह राजावत)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई (दौसा)

स्तुत हैः-
ालय हाजा
ा है।
सरा नम्बरा
रकब